राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

(पीठासीन अधिकारी, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....कपासन..... दिनांक :– 08/07/25

–:: आदेश ::–

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....निम्बाठेड़ा..... व भू–अभिलेख निरीक्षक .....निम्बाठेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासनकी अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....खान्दोला..... तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या .....10..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खान्दोला	10	सतुलाल पुत्र खेता जाति-बजांरा	सतुलाल उर्फ सदा पुत्र खेता जाति-बजांरा शेष बहादुर रहे —

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/ [illegible]/2025/42 दिनांक :– 8/7/2025

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार, ...कपासन.....को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री .....
3. रक्षित पत्रावली।

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़